न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 529 सन 2018

अनवान :—

1. अमीलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 03.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 34/42 के खसरा न0 131/2 की 2.5290हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है वाद भूमि वादी के नाम दर्ज करते समय वादी का नाम ईमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम अमीलाल पुत्र श्योकरण है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, सभी में वादी का नाम अमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज हे वादी का राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नही उठा पा रहा है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से अमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 34/42 के खसरा न0 131/2 की 2.5290हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है

जिसमें वादी का नाम ईमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में अमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है इसलिये वादी का नाम संशोधन किया जाकर ईमीलाल के स्थान पर अमीलाल पुत्र श्योकरण संशोधन किया जाना उचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 34/42 के खसरा न0 131/2 की 2.5290हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें वादी का नाम ईमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह में अमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है इसलिये तहसीलदार नोहर ने वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईमीलाला पुत्र श्योकरण के स्थान पर अमीलाल पुत्र श्योकरण संशोधन की अभिशषा की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 34/42 के खसरा न0 131/2 की 2.5290हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में वादी का नाम ईमीलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है के स्थान पर ईमीलाल उर्फ अमीलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सोनडी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)